



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/पैतृक विभाग/कार्य./2020/3642 जयपुर,दिनांक:- 01/09/2022

—:आदेश:—

निम्नलिखित विकास अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (शिक्षा) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है :-

क.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापित स्थान
1.	श्री गिर्राज मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय, पंचायती राज विभाग
2.	श्री दलपत सिंह	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय, पंचायती राज विभाग

उक्त अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग (शिक्षा), मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
8. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
9. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)